5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय शुल्क Rs.10 FEE INDIA TEN RUPEES

10 रु. COURT भारत दस रुपये

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1— शरण तनय पंखू अहीर , 2— पुक्खन पुत्री भागीरथ यादव ,

निबासी ग्राम तखा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़

निग- 1295-II-16 ....आवेदकगण

श्री .... द्वारा आज दि. 22/4/16 को प्रस्तुत

वनाम

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 22-4-16

1— म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ ,

2— मंटू तनय कनई सौंर

निबासी ग्राम तखा , तहसील एवं जिला टीकमगढ़

.... अनावेदकगण

स्वमेव निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता:—

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह स्वमेव निगरानी ,आवेदक एक का नाम पूर्ववत खसरा में दर्ज करने वावद, तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित करने वावद प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसका संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि बर्ष 1969—70 के खसरा पंचसाला में, ग्राम तखा स्थित भूमि खसरा नंबर 238/3घ रकवा 5.00 एकड़ या 2.023 हैक्टर राजस्व अभिलेख में 2/3 हक में आवेदक क्रमांक एक शरण तनय पंखू अहीर के नाम पर तथा 1/3 मंटू सौर के नाम पर शासकीय पटटेदार के रूप में दर्ज थीं। इसी प्रकार इसी ग्राम की खसरा नंबर 238/5 रकवा 0.68 एकड़ या 0.275 हैक्टैयर भूमि आवेदक एक शरण के नाम पर 2/3 तथा मंटू तनय कनई के नाम पर 1/3 हक में शासकीय पटटेदार के रूप में दर्ज थीं, जो लगातार बर्ष 1984—85 तक दर्ज रहीं। बर्ष 1984—85 में प्रकरण क्रमांक 99/अ—19/1984—85 में पारित आदेश के द्वारा उपरोक्त भूमि का आवेदकगण को भूमिस्वामी घोषित कर दिया गया, जो 1984 से लगातार बर्ष 1998—99 तक उपरोक्तानुसार ही भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहे। बर्ष 1998—99 में खसरा नंबर 238/2 घ में से नामांतरण पंजी क्रमांक 26 पर पारित आदेश दिनांक 2/2/1999 के द्वारा तहसीलदार टीकमग़ढ़ ने मंटू के रकवा 1.012 हैक्टर पर श्रीबाई पत्नि किशनलाल अहिरवार का नाम दर्ज कर दिया। खसरा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1295/II/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **पंखू अहीर वनाम म0 प्र0 शासन**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22.4.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह स्वमेव निगरानी ,आवेदक कमांक एक का नाम पूर्ववत ग्राम तखा, तहसील एवं जिला टीकमगढ़ के स्थित भूमि खसरा कमांक 238/3घ मिन–1 रकवा 1.011 हैक्टैयर , तथा खसरा नंबर 238/5 रकवा 0.275 पर पूर्ववत अनावेदक कमांक 02 मंटू के साथ भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने वावद प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा अपनी निगरानी के साथ बर्ष 1969–70 से बर्तमान तक के खसरा पांच साला की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत कीं गई हैं, जिनमें आवेदक कमाक एक पंखू का नाम बर्ष 1969–70 के खसरा पंचसाला में, खसरा नंबर 238/3घ रकवा 5.00 एकड़ या 2.023 हैक्टर पर 2/3 हक में तथा 1/3 मंटू सौर के नाम पर शासकीय पटटेदार के रूप में दर्ज थीं। इसी प्रकार इसी ग्राम की खसरा नंबर 238/5 रकवा 0.68 एकड़ या 0.275 हैक्टेयर भूमि आवेदक कमांक एक पंखू तनय शरण अहीर के नाम पर 2/3 तथा अनावेदक कमांक दो मंटू तनय कनई के नाम पर 1/3 हक में शासकीय पटटेदार के रूप में दर्ज थीं, जो लगातार बर्ष 1984–85 तक दर्ज रहीं। बर्ष 1984–85 के खसरा में लाल स्याही से प्रकरण कमांक 99/अ–19/1984–85 में पारित आदेश के द्वारा उपरोक्त भूमि का आवेदक एक एवं अनावेदक क0 02 को को भूमिस्वामी घोषित कर दिया गया, जो 1984 से लगातार बर्ष 1998–99 तक भूमि स्वामी के रूप में दर्ज रहे। बर्ष 1998–99 में खसरा नंबर 238/2 घ में से नामांतरण पंजी कमांक 26 पर पारित आदेश दिनांक 2/2/1999 के द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ ने मंटू के रकवा 1.012 हैक्टर पर श्रीबाई पत्नि किशनलाल अहिरवार का नाम दर्ज कर दिया। खसरा नंबर 238/5 का नामांतरण यथावत दर्ज चला आया। जिसमें खसरा नंबर 238/3घजु0 रकवा 1.011 हैक्टेयर शरण तनय पंखू अहीर 2/3 हि0, मंटूॅ तनय कनई सौंर 1/3 हिस्सा भूमि स्वामी, 238/3घजु 1.012 पर श्रीबाई पत्नि किशनलाल अहिरवार का नाम दर्ज हो गया। खसरा नंबर 238/5 रकवा 0.275 यानि 0.68 हैक्टेयर पर आवेदक कमांक एक, शरण तनय पंखू अहीर	

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1295/17 2016

2/3 , मंटू तनय कनई सौंर 1/3 हिस्सा दर्ज चला आया, जो बर्ष 2006–07 तक दर्ज रहा। उसके बाद के खसरा में बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के खसरा नंबर 238/3/घ/मिन–1 रकवा 1.011 हैक्टेयर पर मंटू तनय कनई सौंर का नाम दर्ज हो गया। आवेदक के अनुसार उसमें से आवेदक का नाम बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के हटा दिया गया। खसरा पंचसाला में भी उपरोक्त संशोधन का कोई हवाला नहीं है। इसी प्रकार खसरा नंबर 238/5 रकवा 0.275 हैक्टेयर में से भी आवेदक कमांक एक पंखू का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के पृथक कर दिया गया, मात्र मंटू सौंर का नाम दर्ज हो गया। खसरा नंबर 123/3घजु 1.012 हैक्टेयर पर नामांतरण पंजी कमाक 20, रा0प्र0क0 195/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20/05/2013, तहसीलदार टीकमगढ़ के द्वारा श्रीबाई के स्थान पर बिक्रय पत्र के आधार पर आवेदिका कमाक 02 पुक्खन का नाम दर्ज हो गया, जो कि बर्तमान में भी दर्ज चला आ रहा है। आवेदक के अनुसार आवेदक द्वारा कभी भी उपरोक्त भूमि का मंटू सौंर के नाम पर बैद्य या अवैद्य अंतरण नहीं किया है, ना ही किसी प्रकार के नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

2– यह कि प्रकरण के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों का गंभीरता पूर्वक अवलोकन करने से यह तथ्य स्पष्ट है कि आवेदक कमाक एक का नाम पूर्व में खसरा नंबरों में अनावेदक दो के साथ सह खातेदार के रूप में बर्ष 1969–70 से दर्ज रहा है, बर्तमान खसरा में वादभूमि पर आवेदक एक का नाम खसरा से पृथक कर अकेले अनावेदक कमांक 02 के नाम पर दर्ज कर दी गई है। फलतः यह स्वमेव निगरानी स्वीकार करके तहसीलदार टीकमगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, आवेदक कमाक एक का नाम पूर्ववत खसरा नंबर 238/5 रकवा 0.275 पर शरण तनय पंखू अहीर 2/3 तथा मंटू तनय कनई सौंर 1/3 भूमिस्वामी दर्ज किया जाबे। इसी प्रकार खसरा नंबर 238/3/घ/मिन–1 रकवा 1.011 हक्टैयर पर भी शरण तनय पंखू अहीर 2/3 तथा मंटू तनय कनई सौंर 1/3 हक भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जाबे। आवेदिका कमांक दो पुक्खनबाई का नाम खसरा कमांक 238/3/घ/मिन–2 रकवा 0.984 हैक्टेयर पर यथावत रखा जाबे। उपरोक्तानुसार निगरानी निराकृत की जाती है। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दा0 द0 हो।

सदस्य